

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या:-86/11

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

दायर दिनांक:- 13.06.2011

जीसीएमएस नं. 2011/00180

उनवान

बदनसिंह पुत्र श्रीफल जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन  
सिटी हाल तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0

वादीगण-02

बनाम

रामकिशन पुत्र मल्ले जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन हाल  
तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण-10


दावा बाबत इस्तकरारहक, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 86/11 बदनसिंह बनाम रामकिशन अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(हेमराज गुर्जर)  
25/6/24  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन